न्यायालय :—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 03/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 14.03.2022
जीसीएमएम नम्बर :— 2022/97

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. रामा पुत्र हीरा 2. हाजरी पत्नि रामा जातिगण मेहरात निवासीगण करणपुरा प्रतापगढ थाना रास तहसील रायपुर		1.मेहमद पुत्र रामा निवासी रियाद सउदी अरब 2.मैमुना पत्नि मेहमद 3.इस्फाक पुत्र मेहमद 4.मुस्ताफ पुत्र मेहमद 5.समीर पुत्र मेहमद 6.मदीना पत्नि जलाल 7.भंवरू पुत्र सम्मा 8.गुमान पुत्र समा 9.जलाल पुत्र समा जातिगण मेहरात निवासीगण करणपुरा थाना रास

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क और ख के अधीन माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :— प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी गण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 12.01.2023**

प्रार्थीया रामा पुत्र हीरा एवं हाजरी पत्नि रामा जातिगण मेहरात निवासीगण करणपुरा प्रतापगढ थाना रास तहसील रायपुर की ओर से श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर इस न्यायालय को कार्यवाही हेतु लिखने पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क और ख के अधीन माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया हैं। परिवादी वृद्ध दम्पत्ति उक्त पते पर स्थाई निवास करते हैं तथा जिनके पास संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की करीब 15–20 बीघा खेतीहर जमीन हैं। जिसके सिंचाई के लिए दो कुएं, एक पर बिजली के मोटर हैं, पिलाई के लिये भूमिगत प्लास्टिक के पाईप बिछाये हुए हैं। इस प्रकार खेती करता आये तथा साझेदारों का भी सहयोग लेते हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पुत्र मेहम्मद जो उत्पाती, झगडालू वगैरह प्रतापित कर डराधमकाकर रकम ऐठने वाला कलयुगी पुत्र व अप्रार्थी संख्या 02 पुत्रवधू मैमूना व उसके तीनों पुत्रगण संख्या 03 से 05 हैं जोकि उक्त अप्रार्थी संख्या 01 से 05, उक्त अप्रार्थी संख्या 06 से 10 की पूर्णतया बहकावट में आकर आये दिन तग परेशान कर हम वृद्ध दम्पत्ति के साथ मारपीट कर अपने स्तर पर थाना में राठौडी कार्यवाही करते हुए डरा धमकाकर जमीन अप्रार्थी संख्या 02 पुत्रवधू के हक में लिखत राजीनामा कराने हेतू तत्पर होकर कार्यवाही को अन्जाम देते हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण से बेहद परेशान है,उसका जीना खाना पीना दूभर हो गया। प्रार्थीगण के परिवार के दो ही पुत्र हैं। उसमे से एक बडा पुत्र वयस्क कमाने खाने रियाद सउदी अरब चला गया तथा दूसरा पुत्र मनोहर काठात अवयस्क व बेराजगार हैं। जो कि प्रार्थीगण के माता पिता पर आश्रित हैं। पुत्रीया के विवाह होंने पर ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अप्रार्थीगण के माता पिता प्रार्थी की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर उसकी पैरवी करने वालों के साथ भी गाली गलौच व बदतमीजी से पेश आते हैं तथा हम प्रार्थीगण की पुत्र वधू मैमुना हमारी इस वृद्धावस्था व बीमारी की हालत में सेवा करने के बजाय अपने पुत्रों से यानि प्रार्थीगण के पौत्रों को उकसाकर उनसे भी लाठियों से बुरी तरह अप्रार्थीगण संख्या 06 से 09 मिली भगत कर परिवार में माहौल

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक रायपुर व पुलिस थाना रास द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 पर जूर्म प्रमाणित होने पर ग्राम न्यायालय रायपुर में चार्जशीट दायर कर चुके हैं। अप्रार्थी संख्या 02, 06 से 09 के सहयोग लेकर प्रार्थीगण को पुलिस थाना रास में ले जाकर जबरन फर्जी कूटरचित तरीके से नासीर अली के साथ मिलीभगत कर पुलिस थाना रास के जांचकर्ता से अपने आधे हिस्सेदारी अपने नाम पर तहरीर लिखत करा ली जिसे आप श्रीमान् द्वारा उक्त गलत तरीके से पुलिस थाना रास में लिखत कराये राजीनामा को निरस्त कराने हेतु आदेश किया था। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण से लगातार उक्त जमीनों में आधी हिस्सेदारी व मकान आदि में अपना स्वयं का कब्जा तथा तीन लाख रू व ग्याहर तोला सोना की मांग दोहरा रहा हैं। प्रार्थीगण मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। स्वयं भर पूरे परिवार का पालन–पोषण करते व कर्जदार हैं।

प्रार्थी , श्रीमान् से अनुतोष यह हैं कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की चल–अचल सम्पति से बेदखल किया जावें, प्रार्थी के जान–माल की रक्षा हेतु पाबन्द किया जाय, अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण कब्जाशुदा जमीन, मकानात, आदि पर जबरन कब्जा कर थाने कोर्ट में तलब कर गलत तरीके से राजीनामा लिखत कराये गये उनको निरस्त कर मूल राजीनामा प्रति को बरामद की जावे व प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को उचित आदेश बाबत् भरणपोषण हेतु पारित फरमावें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड डाक की रसीदे पेश की गई हैं। तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं।

प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र पर लिखित बहस पेश की हैं जिसमें बताया कि परिवादी वृद्ध दम्पत्ति उक्त पते पर स्थाई निवास करते हैं तथा जिनके पास संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की करीब 15–20 बीघा खेतीहर जमीन हैं। जिसके सिंचाई के लिए दो कुएं, एक पर बिजली के मोटर हैं, पिलाई के लिये भूमिगत प्लास्टिक के पाईप बिछाये हुए हैं। इस प्रकार खेती करता आये तथा साझेदारों का भी सहयोग लेते हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पुत्र मेहम्मद जो उत्पाती, झगडालू वगैरह प्रतापित कर डराधमकाकर रकम ऐठने वाला कलयुगी पुत्र व अप्रार्थी संख्या 02 पुत्रवधू मैमूना व उसके तीनों पुत्रगण संख्या 03 से 05 हैं जोकि उक्त अप्रार्थी संख्या 01 से 05, उक्त अप्रार्थी संख्या 06 से 10 की पूर्णतया बहकावट में आकर आये दिन तग परेशान कर हम वृद्ध दम्पत्ति के साथ मारपीट कर अपने स्तर पर थाना में राठौडी कार्यवाही करते हुए डरा धमकाकर जमीन अप्रार्थी संख्या 02 पुत्रवधू के हक में लिखत राजीनामा कराने हेतू तत्पर होकर कार्यवाही को अन्जाम देते हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण से बेहद परेशान है,उसका जीना खाना पीना दूभर हो गया। प्रार्थीगण के परिवार के दो ही पुत्र हैं। उसमे से एक बडा पुत्र वयस्क कमाने खाने रियाद सउदी अरब चला गया तथा दूसरा पुत्र मनोहर काठात अवयस्क व बेराजगार हैं। जो कि प्रार्थीगण के माता पिता पर आश्रित हैं। पुत्रीया के विवाह होंने पर ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। उक्त संबंध में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को पेश किया था। जो श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी रायपुर को प्राप्त हुआ था।जो श्रीमान् के न्यायालय में दिनांक 04.03.2022 उक्तानुसार माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम की याचिका पेश की गई। तथा विधिवत् अप्रार्थीगण को नोटिस हेतु दस्ती सम्मन भी प्रार्थीगण को दिये गये, जिसे प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड डाक से पोस्टल प्राप्ति स्वीकृत प्रमाण पत्र दिनांक 05.08.2022 भी मुख्य डाकपाल ब्यावर से प्राप्त कर पत्रावली पर उक्तानुसार अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गई थी। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने स्तर पर जान माल की सुरक्षा हेतु पूर्व में भी दो बार हम प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआई आर संख्या 0148 / 2021 दिनांक 03.08.2021 अंतर्गत धारा 341,323 भादस व प्रथम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सूचना रिपोर्ट संख्या 0029/2021 अंतर्गत धारा 143,341,323,452,351,379 भादस पुलिस थाना रास दिनांक 07.02.2021 वं संलग्नक कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना रास के कार्यालय के आदेश पत्र क्रमांक पीएसरास/इस्तगासा/2021/65 दिनांक 26.11.2021 श्रीमान् कार्यपालक मजिस्ट्रेट रायपुर के यहां इस्तगासा अंतर्गत धारा 107 116 के अनुसार जमानते पेश कर पाबंद होने पर उक्त मामले की अप्रार्थीगण को भली–भांति जानकारी होते हुए भी प्रार्थीगण द्वारा दायर याचिका प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए अतएव उनकी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पीडीत प्रार्थीगण की ओर से अपने बयानात भी शपथ पत्र अतगर्त आदेश 18 नियम 04 जा दी के तहत दिनांक 21.09.2022 को पेश किये गये हैं। अतः भरण पोषण के लिए 15–15 हजार रूप्ये प्रतिमाह दिलाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली के अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 मेहमद पुत्र रामा से प्रतिमाह की तारीख 01 से 05 तक प्रार्थीया के अकान्टर नम्बर में रूपये 5000 अक्षरे पांच हजार रूपये राशि जमा कराने के आदेश दिया जाना न्यायोजित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 मेहमद पुत्र रामा से प्रतिमाह की तारीख 01 से 05 तक प्रार्थी के अकान्टर नम्बर 11072023976 (एमजीबी ग्रामीण बैक) में रूपये 5000 अक्षरे पांच हजार रूपये राशि जमा कराने के आदेश दिये जाते हैं। अतः उक्त आदेश की पालना हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)